न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	[illegible] बनाम [illegible] तहसीलदार हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा [illegible] 03/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
21.12.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में साक्ष्य वादी पेश हो जाने से वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 09.01.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
09.01.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 09/01/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
63 / 2018	2018 / 226	31.07.2018	09.01.2024

उनवान प्रकरण

1. उमेश शर्मा दत्तक पुत्र जगदीश उर्फ जगदीश प्रसाद उम्र 21 साल जाति ब्राह्मण निवासी होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–वादी–

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री रक्षपाल स्वामी, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

09/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम कोटडी सिमारला पटवार हल्का कोटडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 951/1414, 952 कुल किता-2 कुल रकबा 1.0700 हैक्टर के हिस्सा 1/6 की खातेदारी व कृषि भूमि खसरा नम्बर 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 938, 946, 947, 966, 967, 968 कुल किता-13 कुल रकबा 14.4600 हैक्टर के हिस्सा 1/64 की खातेदारी एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 949, 950 कुल किता-2 कुल रकबा 2.1700 हैक्टर के हिस्सा 1/4 की खातेदारी एंव राजस्व ग्राम होल्या का बास पटवार हल्का कोटडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1128, 1144, 1146, 1164 कुल किता-4 कुल रकबा 12.3600 हैक्टर के हिस्सा 1/64 की खातेदारी एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1129, 1142, 1143, 1145, 1154, 1163 कल किता-6 कुल रकबा 6.0800 हैक्टर के हिस्सा 1/64 की खातेदारी वादी के दत्तक पिता मृतक जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के दत्तक पिता के कोई संतान नही हुई थी। इसलिये बाल्यावस्था से ही वादी उनके पास रहता था। वादी को प्यार के नाम से विनोद के नाम से पुकारते थे। वादी की दत्तक माता सन्तोष की मृत्यु वादी के दत्तक पिता के पहले दिनांक 9-1-2011 में हो गयी थी तथा वादी के दत्तक पिता की मृत्यु दिनांक 21-1-2018 को हुई थी। उसकी मृत्यु उपरान्त समस्त कियाकर्म वादी ने ही किये थे तथा पगडी का दस्तूर भी वादी के ही हुआ था तथा वादी के दत्त्क पिता ने अपने जीवन काल में वादी को दत्तक लिया। इस बाबत उनके बाद कोई विवाद नही हो इसलिये समाज में गोद का हवन कराया, गुड पतासे बांट कर गीत गाये व गोद की घोषणा की तथा 500/- रु0 के स्टाम्प दिनांक 4-7-2011 को लेकर उस पर दत्तक लेने का लेख लिखाया तथा [illegible] लेख [illegible] वादी के हक में अपनी अंतिम वसीयत भी वादी के हक में [illegible] वारिस होने की घोषणा की तथा उसे नोटेरी पब्लिक श्री बाबुलाल शर्मा एडवोकेट श्रीमाधोपुर से दिनांक 6-7-2016

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

09/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

को अपने हस्ताक्षर कर सत्यापित करवाया। जिस पर वादी के प्राकृतिक पिता अशोक कुमार ने अपनी सहमति दत्तक देने की बाबत हस्ताक्षर किये व गवाहान में दुर्गाप्रसाद शर्मा, गैंदालाल शर्मा, विष्णु कुमार शर्मा, रमेश कुमार शर्मा निवासीगण होल्याकाबास ने अपने हस्ताक्षर किये। इस प्रकार वादी जगदीश उर्फ जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल का दत्तक पुत्र तथा उसकी समस्त चल अचल सम्पतियों का वारिस हैं। इसी कम में दावा की उक्त वर्णित विवादित भूमियों में वादी अपने दत्तक पिता मृतक जगदीश उर्फ जगदीश प्रसाद के नाम दर्ज हक हिस्सा खातेदारी भूमि पर पूर्णत काबिज काश्त चला आ रहा हैं। इसलिए उक्त भूमि की खातेदारी वादी अपने नाम अपने दत्तक पिता जगदीश उर्फ जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल के स्थान पर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी हैं। वादी अपने दत्तक पिता के नाम खातेदारी में दर्ज भूमियों पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा किसी दिगर का इन भूमियों से कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है।

वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर वादपत्र निम्न प्रकार डिकी फरमाये जाने का निवेदन किया है कि तन ग्राम कोटडी सिमारला पटवार हल्का कोटडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 951/1414, 952 कुल किता–2 कुल रकबा 1.0700 हैक्टर हिस्सा 1/6 एवं खसरा नम्बर 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 938, 946, 947, 966, 967, 968 कुल किता–13 कुल रकबा 14.4600 हैक्टर हिस्सा 1/64 एवं खसरा नम्बर 949, 950 कुल किता–2 कुल रकबा 2.1700 हैक्टर हिस्सा 1/4 एवं तन ग्राम होल्याकाबास पटवार हल्का कोटडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थ्ति कृषि भूमि खसरा नम्बर 1128, 1144, 1146, 1164 कुल किता–4 कुल रकबा 12.3600 हैक्टर हिस्सा 1/64 एवं खसरा नम्बर 1129, 1142, 1143, 1145, 1154, 1163 कुल किता–6 कुल रकबा 6.0800 हैक्टर हिस्सा 1/64 की खातेदारी से वादी के दत्तक पिता मृतक जगदीश उर्फ जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। वाद वास्ते पेश बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी दावा बाबत उदघोषणा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:58 IST
Reason: SelfAttested

09/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील असालतन होकर आई है। असालतन तामील होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1888/भू.अ./23 दिनांक 12.10.2023 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का कोटड़ी सिमारला की रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया है कि वादपत्र में मद संख्या 1 से 5 में अंकित कृषि भूमियों की खातेदारी हिस्सानुसार जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण ने उमेश शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण को गोद लिया जाकर गोदनामा लेख दिनांक 04.07.2016 को लिखा गया था जिसको दिनांक 06.07.2016 को नोटेरी पब्लिक द्वारा नोटेरी करवाया गया है। उक्त गोदनामा लेख पंजीबंद्ध नहीं होकर नोटेरी होने बाबत अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। वकील वादी ने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में वादी उमेश शर्मा दत्तक पुत्र जगदीश प्रसाद का एवं साक्ष्य वादी गवाहान् में अशोक कुमार शर्मा पुत्र प्रभुदयाल व दुर्गाप्रसाद शर्मा पुत्र मांगीलाल शर्मा के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किए। वकील वादी ने वादपत्र में वादी एवं गवाहान् के मुख्य परीक्षण के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश कर दिए जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 की कुल पॉच जमाबंदीयॉ, मृत्यु प्रमाण पत्र, गोदलेख दिनांक 04.07.2016, फोटोग्राफ्स कुल चार, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र वादी व गवाहान् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम कोटडी सिमारला के कृषि भूमि खसरा नम्बर 951/1414, 952 कुल किता 2 कुल रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:58 IST
Reason: SelfAttested

09/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

1.07 हैक्टर में हिस्सा 1/6 की खातेदारी जगदीश पुत्र हीरा के नाम से दर्ज हैं। भूमि खसरा नम्बर 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 938, 946, 947, 966, 967, 968 कुल किता 13 कुल रकबा 14.46 हैक्टर में हिस्सा 1/64 की खातेदारी जगदीश प्रसाद पुत्र हीरा के नाम दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 949, 950 किता 2 कुल रकबा 2.17 हैक्टर में हिस्सा 1/4 की खातेदारी जगदीश पुत्र हीरालाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना रिकार्ड से प्रमाणित होता हैं। राजस्व ग्राम होल्याकाबास के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1128, 1144, 1146, 1164 कुल किता 4 कुल रकबा 12.36 हैक्टर में हिस्सा 1/64 की व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1129, 1142, 1143, 1145, 1154, 1163 कुल किता 6 कुल रकबा 6.08 हैक्टर में हिस्सा 1/64 की खातेदारी जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता हैं। खातेदार जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी होल्या का बास के द्वारा वादी उमेश शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण को गोद लिया जाकर गोदनामा लेख दिनांक 04.07.2016 को लिखा जाना तथा उक्त गोदनामा को दिनांक 06.07.2016 को नोटेरी पब्लिक द्वारा नोटेरी करवाया जाना रिकार्ड से प्रकट होता है। उक्त गोदनामा लेख उप पंजीयक के यहॉ पंजीबद्ध नहीं होकर केवल मात्र नोटेरी पब्लिक से पंजीबद्ध होना प्रकट होता है। वादपत्र में अंकित तथ्यों की ताईद वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एंव साक्ष्य वादी में प्रस्तुत गवाहान् के शपथ पत्रों से होती है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादी के दत्तक पिता मृतक जगदीश उर्फ जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर उमेश शर्मा दत्तक पुत्र जगदीश उर्फ जगदीश प्रसाद को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त [illegible] बाबत उद्घोषणा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि [illegible] कोटडी सिमारला पटवार हल्का कोटडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में [illegible] स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:58 IST
Reason: SelfAttested

09/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

951/1414, 952 कुल किता–2 कुल रकबा 1.0700 हैक्टर हिस्सा 1/6 एवं खसरा नम्बर 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 938, 946, 947, 966, 967, 968 कुल किता–13 कुल रकबा 14.4600 हैक्टर हिस्सा 1/64 एवं खसरा नम्बर 949, 950 कुल किता–2 कुल रकबा 2.1700 हैक्टर हिस्सा 1/4 एवं राजस्व ग्राम होल्याकावास पटवार हल्का कोटडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1128, 1144, 1146, 1164 कुल किता–4 कुल रकबा 12.3600 हैक्टर हिस्सा 1/64 एवं खसरा नम्बर 1129, 1142, 1143, 1145, 1154, 1163 कुल किता–6 कुल रकबा 6.0800 हैक्टर हिस्सा 1/64 की खातेदारी से वादी के दत्तक पिता मृतक जगदीश उर्फ जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी उमेश शर्मा दत्तक पुत्र जगदीश उर्फ जगदीश प्रसाद को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

09/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 09.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:58 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)